

संख्या ८३/२२ सरकार बनाम गुलीचन्द वगैरे ६६ हुसैनलाल

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
१५.२.२०२२	आज्ञा यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री गुलीचन्द वगैरे पुत्र श्री हुसैनलाल जाति जाट निवासी ककरो ने फसल रबी/खरीफ सम्वत /सन् २०१६ में गांव/चक ५५ P.S सिंचित/असिंचित कुल ०.७५१ हैक्टेयर आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। आप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित/अनुपस्थित उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है। अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की ५० गुणा पेनल्टी राशि रु० ३०५६ अखरे रुपये तीन हजार मात्र अधिरोपित की जाती है। भू० अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी.आर.ए. को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसुली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सज्ज सरकार हेतु लिखा जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	